



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापरा, जयपुर - 302018

क्रमांक: प.15(5)RSSB/नियम/की-वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/

दिनांक: As per E-Sign

-:: प्रेस-नोट ::-

बोर्ड द्वारा दिनांक **18.05.2025** को आयोजित **संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती-2024** (परीक्षा कोड-WA23) परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर जारी कर दी गयी है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्न अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ **दिनांक 25-06-2025 समय 00:01 बजे (मध्य रात्रि)** से **दिनांक 27-06-2025 समय 23:59 बजे (मध्य रात्रि)** तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।

परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराये गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग-अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। **अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।**

बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रु. 100/- निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेब साइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO आई.डी. के माध्यम से देय शुल्क ई-मित्र पेमेन्ट गेट-वे या ई-मित्र कियोस्क पर, जितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी है, उसके अनुसार प्रति प्रश्न रु 100/- की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल **दिनांक 25-06-2025 समय 00:01 बजे (मध्य रात्रि)** से **दिनांक 27-06-2025 समय 23:59 बजे (मध्य रात्रि)** तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।** आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेगी। आपत्तियों के लिये पोर्टल पर Standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नम्बर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक/लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कन्टेन्ट (Original Text) में कूटरचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी।**

परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफण्ड नहीं होगा।
अतः वे आवश्यकतानुसार देय शुल्क ही जमा करावें।

सचिव

क्रमांक: प.15(5)RSSB/नियम/की-वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है। कृपया इसका राज्य में प्रकाशित होने वाले निम्नांकित समाचार पत्रों के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशन करावें :-
 - राजस्थान पत्रिका
 - दैनिक नवज्योति
 - दैनिक भास्कर
- प्रभारी अधिकारी, IT Cell, RSSB को प्रेस नोट के साथ मास्टर प्रश्न पत्र व प्रारम्भिक उत्तर कुंजी अपलोड कराने हेतु प्रेषित है। कृपया ऑनलाइन आपत्तियाँ प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक के शीघ्र बाद प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों की प्रति मय सॉफ्ट कॉपी तथा संलग्न दस्तावेजों को प्रश्नवार नियम अनुभाग, RSSB में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।



सचिव